

16/2/2015

विक्रय-पत्र

विक्रय मूल्य	₹85,000/-
सर्जल/बाजारी मूल्य	₹4,14,000/-
स्टाम्प ड्यूटी	₹15,525/- (3.75%की दर से महिलाओं के लिए)
कुल स्टाम्प ड्यूटी	₹16,000/-
स्टाम्प पत्रों की संख्या	9 (नौ)
क्षेत्रीय दर	₹14,000/- प्रति वर्ग मीटर (गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर), क० सं०- 2, श्रेणी-B(1), कॉलम-10 पर
मुख्य स्थिति	वह विक्रीत सम्पत्ति जो भूतल पर स्थित है तथा सवाय होटल इस्टेट के आऊट हाऊस का भाग है तथा जो पूर्णतः आवासीय है एवं जिसका कुल रकबा 161.5 वर्ग फुट अथवा 15 वर्ग मी० है, जिसे सवाय आऊट हाऊस, निकट गाडीखाना, मसूरी के नाम से वर्तमान में जाना जाता है तथा जो कि किताबघर से चार्लिविल रोड, मसूरी जिला-देहरादून, उत्तराखण्ड पर स्थित है।
सूची सम्पत्ति	पूरब : विक्रेतागणों की सम्पत्ति पश्चिम : विक्रेतागणों की सम्पत्ति उत्तर : कॉमन रास्ता तथा दक्षिण : पुरता स्थित है।
विक्रेतागणों के नाम व पते	(1) श्रीमती नसीम बानों पत्नी श्री मौहम्मद यासीन एवं (2) मौहम्मद आमिर पुत्र मौहम्मद यासीन, दोनों निवासीगण- सवाय आऊट हाऊस, निकट गाडीखाना, किताबघर, मसूरी, जिला-देहरादून, उत्तराखण्ड।
PAN Card No.	BEMPB1199G (नसीम बानों)
PAN Card No.	AFEPA5653E (मौहम्मद आमिर)
क्रैता का नाम व पता	श्रीमती नय्यर पत्नी श्री कलीम अहमद, निवासी- कार्डस्ट चर्च बिल्डिंग, लाईब्रेरी, मसूरी, जिला-देहरादून, उत्तराखण्ड।
Aadhaar Card No.	528655380500 (मसूरी, जिला-देहरादून) (फार्म नं० 60 संलग्न है।)

(विक्रेता सं० 1) नसीम बानों (विक्रेता सं० 2) आमिर (क्रैता)

रचयिता व फोटो सत्यापनकर्ता : श्री रमेश कुमार जायसवाल, एडवोकेट, मसूरी।

आयकर विभाग

INCOME TAX DEPARTMENT

NASEEM BANO

IFTIKHAR AHMAD

15/04/1953

BEMPB1199G



भारत सरकार

GOVT. OF INDIA

नसीम बानो

आयकर विभाग

INCOME TAX DEPARTMENT

M AAMIR

MOHD YASIN

22/12/1976

AFEPA5653E

M. Amir



भारत सरकार

GOVT. OF INDIA

M. Amir



भारत सरकार

Government of India



नाम
पता
जन्म तिथि
पेशा

5286 5538 0500

आम आदमी का अधिकार

नसीम



राज्य निर्वाचन आयोग, भारत

नाम
पता
जन्म तिथि
पेशा

नाम
पता
जन्म तिथि
पेशा

5286 5538 0500



भारत सरकार
Government of India



वेबसाइट
Abant Abiramat
जारी एमआर 11/03/2018 10:50:00 AM
पृष्ठ/पान



6587 1207 3755

- आम आदमी का अधिकार

Yamin

Unique Identification Authority of India

पता:
आबज आबुदुल हेकमतश, आई टी
सी पी कंपाउंड, मुसोरी, देहरादून,
मुसोरी, उत्तराखंड, 248179

Address
S/O Abul, Haryana, IITP
Compound, Mussoorie, Dehradun
Mussoorie, Uttarakhand, 248179

6587 1207 3755

1800 300 1947

help@uaid.gov.in

www.uaid.gov.in

lu



भारत निर्वाचन आयोग
ELECTION COMMISSION OF INDIA
पहचान पत्र
IDENTITY CARD
UP/01/423/057606



निर्वाचक का नाम : मा. यामिन
Elector's Name : M. Yamin
पिता/माता/पति का नाम : श्री. अय्यु
Father's/Mother's/Husband's Name : Mr. Ayuu
लिंग : पुरुष
Gender : Male
17/1995 का आयु : 46
Age as on 17/1995

म.सं. : स्वयं का
ग्राम/माला : लैररी बाजार
तहसील : देहरादून
जिला : देहरादून
Address
H.No : Svay KaB
Vill/Mohalla : Library Bazar
Tehsil : Dehradun
Dist : Dehradun

निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिका
के हस्ताक्षर की अनुमति
निर्वाचन क्षेत्र 423-मुसोरी
Facsimile Signature of
Electoral Registration Officer
423-Mussoorie A C

क्षेत्र : देहरादून
District : Dehradun

इस पत्र को विभिन्न सरकारी योजनाओं के
पत्र के रूप में प्रयोग किया जा सकता है।
This card can be used as an Identity
Document for Government Program

16/2/2015

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु. 5000

Rs. 5000

पाँच

FIVE THOUSAND RUPEES



उत्तराखण्ड UT

Issued From

27 JUL 2015

Sub Treasury Officer
Mussoorie, Dehradun

910023

विक्रय-पत्र

यह विक्रय-पत्र आज दिनांक 05-08-2015 को स्थान मसूरी, जिला देहरादून, उत्तराखण्ड में निम्न पक्षकारों के मध्य निष्पादित किया गया:-

(1) श्रीमती नसीम बानों पत्नी मौहम्मद यासीन एवं (2) मौहम्मद आमिर पुत्र मौहम्मद यासीन, दोनों निवासीगण- सवाय आऊट हाऊस, निकट गाड़ी खाना, किताबघर, मसूरी, जिला- देहरादून, उत्तराखण्ड। (जिन्हें इस विक्रय पत्र में आगे प्रथम पक्ष/विक्रेतागण कहा गया है।) PAN Card No.: BEMPB1199G (नसीम बानों)
PAN Card No.: AFEPAS653E (मौहम्मद आमिर)

.....विक्रेतागण/प्रथम पक्ष
एवं

श्रीमती नय्यर पत्नी श्री कलीम अहमद, निवासी- कार्डिस्ट चर्च बिल्डिंग, लाईब्रेरी, मसूरी, जिला-देहरादून। (जिन्हें इस विक्रय पत्र में आगे द्वितीय पक्ष/क्रेता कहा गया है।)
Aadhaar Card No.: 528655380500 (मसूरी, जिला-देहरादून)

.....क्रेता/द्वितीय पक्ष

यह विक्रय-पत्र आज दिनांक 05-08-2015 को प्रथम पक्ष/विक्रेतागणों व द्वितीय पक्ष/क्रेता के मध्य अंकित हस्ताक्षरित एवं निष्पादित हुआ है जिसमें दोनों पक्षों के वारीसान, उत्तराधिकारी, कानूनी प्रतिनिधि, स्थानापन्न आदि सम्मिलित माने जायेंगे।

नसीम बानों नि.आमिर



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

910024

27 JUL 2015

Sub Treasury Officer
Mussoorie, Dehradun

विदित हो कि विलेख दिनांक 04 जनवरी वर्ष 1867 जिसका निबन्धन रजिस्ट्रार जनरल एस्स्यूटेन्स, बंगाल के कार्यालय में बही संख्या 1 की पुस्तक संख्या-2 के पृष्ठ-1 में क्रमांक 2 वर्ष 1867 में हुआ, श्री जॉन हैनरी प्राट, आर्कडिकोन, कलकत्ता ने स्वयं के व कलकत्ता के अन्य उत्तराधिकारी आर्कडिकोन के लाभार्थ सम्पत्ति जिसको उस समय मसूरी स्कूल एस्टेट नाम से जाना जाता था, अर्जित की। तदोपरान्त पैट्रीक जॉर्ज डोकर लिंकन बैरिस्टर एल लॉ, लखनऊ निवासी ने कलकत्ता के तत्सामयिक आर्कडिकोन श्री आर्यर ऐडवर्ड स्टीन से विक्रय पत्र दिनांक 01 जनवरी वर्ष 1867 द्वारा जिसका निबन्धन कलकत्ता के रजिस्ट्रार कार्यालय में क्रमांक 397 पर बही संख्या-1 को पुस्तक संख्या-13 के पृष्ठ 116-122 पर 21 मार्च वर्ष 1901 को हुआ, उक्त सम्पत्ति को कय किया और उक्त श्री पैट्रीक जॉर्ज डोकर लिंकन के 9 नवम्बर 1934 को देहान्त होने के उपरान्त उनके अन्तिम इच्छापत्र का वसीयती वाद संख्या-3 वर्ष 1934 न्यायालय चीफ कोर्ट ऑफ अवध से प्रोबेट प्राप्त करने के उपरान्त उनके उत्तराधिकारी श्री सीरील डोकर लिंकन द्वारा उक्त सम्पत्ति के जो कि उस समय तक सेवाय होटल एस्टेट के नाम से विख्यात हो चुकी थी, के एकमात्र स्वामी व अधिकारी के नाते उक्त सम्पत्ति कैप्टन स्व० राय साहब कृपा राम, निवासी- 21, ईस्ट कैनाल रोड, देहरादून को सर्वाधिकार सहित विक्रय पत्र दिनांक 21 जून वर्ष 1946 पंजीकृत बही संख्या-1 को पुस्तक संख्या-27 के पृष्ठ 243 से 253 में क्रमांक 59 में कार्यालय ज्वाइन्ट सब रजिस्ट्रार मसूरी में विक्रय किया गया।

नयी नवानी M. Anam 10



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

B 841344

27 JUL 2015
Sub Treasury Officer
Mussoorie, Dehradun

विदित हो कि उक्त कैप्टन राय साहब कृपाराम द्वारा पंजाब नेशनल बैंक से उक्त सम्पत्ति बन्धक रखकर ऋण लिया गया था जिसके समायोजन हेतु उक्त राय साहब कैप्टन कृपाराम द्वारा ट्रिब्यूनल (डेट एडजेस्टमेन्ट) देहरादून के समक्ष विधिवत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो कि वाद संख्या-815 वर्ष 1952 कैप्टन कृपाराम विपरीत पंजाब नेशनल बैंक के नाते पंजीकृत हुआ। इस वाद में निर्णय व आदेश दिनांक 31 जनवरी वर्ष 1963 द्वारा पंजाब नेशनल बैंक के पक्ष में उक्त कैप्टन कृपाराम के विरुद्ध सम्पत्ति के नीलाम से वसूली हेतु डिग्री पारित की गयी।

विदित हो कि उक्त सम्पत्ति की नीलामी हेतु निष्पादन संख्या-2 वर्ष 1967 चलाया गया जिसमें उक्त सम्पत्ति दिनांक 26.05.1969 को नीलाम हुयी जिसमें होटल कन्द्रील प्राईवेट लिमिटेड द्वारा सबसे ऊंच बोली देकर उक्त सम्पत्ति को कय किया गया जिसकी पुष्टि न्यायालय द्वारा दिनांक 14 अप्रैल वर्ष 1982 को हुयी और उसके अनुपालन में विधिवत विक्रय प्रमाण पत्र (सेल सर्टिफिकेट) श्री एच0ए0 अन्सारी, विद्वान सिविल जज, देहरादून के न्यायालय से दिनांक 03 जनू वर्ष 1982 को निर्गत किया गया जिसका निबन्धन संयुक्त उप निबन्धक, मसूरी के कार्यालय में पुस्तक संख्या-1 की बही संख्या-101 के पृष्ठ 264-265 पर क्रमांक 60 से दिनांक 10 जून वर्ष 1982 को हुआ, जिसके उपरान्त होटल (कन्द्रील) प्रा0 लि0 को नीलाम में खरीदी गयी उपरोक्त सम्पत्ति का वास्तविक कब्जा व अधिकार मिला और उसी समय से होटल कंट्रोल प्रा0 लि0 उक्त सम्पत्ति पर एकमात्र स्वामी व अधिकारी के नाते आरूढ हो गये।

नशीतलानी

MAMAMU



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

B 841345

Issued From
27 JUL 2015
Sub Treasury Officers
Mussoorie, Dehra Dun

विदित हो कि सम्पूर्ण सम्पत्ति में से 3.067 एकड़ भूमि पंजीकृत विक्रय विलेख जो कि बही संख्या-1 जिल्द-134 के पन्ने 323 चस्पा एडी0 बही संख्या-1, की जिल्द 195 के पन्ने 205 से 300 में नम्बर 625/90 पर दिनांक 23.11.1990 के द्वारा (1) श्री जगदीश प्रसाद पुत्र स्व0 लाल मिलकी राम, (2) श्री ज्ञान प्रकाश पुत्र लाला जगदीश प्रसाद, (3) श्री श्रवण कुमार पुत्र श्री रामेश्वर दास, (4) श्रीमती अर्चना देवी पत्नी श्री अशोक कुमार, (5) श्री संजय गुप्ता पुत्र श्री जुगमन्दर गुप्ता, (6) श्री दीपक गोयल पुत्र श्री मोहन लाल एवं (7) श्रीमती विमला गर्ग पत्नी श्री मोहन लाल गर्ग द्वारा कय की गयी और वह अपने-अपने हिस्से के स्वामी हुये। जिसमें (1) श्री जगदीश प्रसाद पुत्र स्व0 लाल मिलकी राम 10 प्रतिशत, (2) श्री ज्ञान प्रकाश पुत्र लाला जगदीश प्रसाद 30 प्रतिशत, (3) श्री श्रवण कुमार पुत्र श्री रामेश्वर दास 20 प्रतिशत, (4) श्रीमती अर्चना देवी पत्नी श्री अशोक कुमार 10 प्रतिशत, (5) श्री संजय गुप्ता पुत्र श्री जुगमन्दर गुप्ता 10 प्रतिशत, (6) श्री दीपक गोयल पुत्र श्री मोहन लाल 10 प्रतिशत, एवं (7) श्रीमती विमला गर्ग पत्नी श्री मोहन लाल गर्ग 10 प्रतिशत के स्वामी हुये।

नसीम बानो M.A. B.A. B.L.



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

B 841347

Issued From
27 JUL 2015
Sub Treasury Officer
Mussoorie, Dehradun

अतः यह विक्रय-पत्र साक्षी है कि:-

- 1- यह कि उपरोक्त विक्रय मूल्य के अनुपालन में क्रेता द्वारा ₹85,000/- (पिचासी हजार रुपये मात्र) का भुगतान पूर्व में नगद अदा कर दिया गया है, इस प्रकार द्वितीय पक्ष/केता द्वारा प्रथम पक्ष/विक्रेतागणों को उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में कुल विक्रय मूल्य का सम्पूर्ण भुगतान ₹85,000/- (पिचासी हजार रुपये मात्र) इस विक्रय पत्र को सब-रजिस्ट्रार, मसूरी के समक्ष पंजीयन हेतु प्रस्तुत करने से पूर्व अदा कर दिया गया है, जिसकी प्राप्ति विक्रेतागण पूरी तरह से स्वीकार करते हैं। अब उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में विक्रेतागणों व केता के मध्य कोई विक्रय मूल्य लेना-देना शेष नहीं रह गया है।
- 2- यह कि विक्रेतागणों ने आज विक्रय किये गये उपरोक्त आवासीय सम्पत्ति के विक्रीत भाग से जिसके पूरब में सम्पत्ति विक्रेतागणों की, पश्चिम में विक्रेतागणों की सम्पत्ति, उत्तर में कॉमन रास्ता तथा दक्षिण में पुश्ता स्थित है, से अपना स्थल से कब्जा पूर्णतः हटाकर क्रेता को कब्जा समर्पित करते हुए क्रेता को विक्रय की गयी उपरोक्त विक्रीत भाग पर काबिज एवं आबाद कर दिया है और उन्हें वे समस्त हवा, पानी रोशनी, बिजली तथा मार्ग के समस्त अधिकार प्राप्त हो गये हैं जो विक्रेतागणों को प्राप्त थे। विक्रेतागण, उनके परिवार के सदस्य, उत्तराधिकारी, वारीसान, कानूनी प्रतिनिधि अथवा उसकी ओर से कोई भी व्यक्ति को क्रेता के उपरोक्त कय किये गये भाग के कब्जे में उजर-दखल, आपत्ति, बेदखली आदि की कार्यवाही करने का कोई अधिकार नहीं रह गया है तथा भविष्य में भी नहीं होगा। क्रेता आज से बतौर स्वतन्त्र स्वामी उक्त विक्रीत भाग पर पर काबिज व आबाद हैं और उन्हें उक्त कमरों को विकसित करने, आबाद करने, विक्रय करने, दान करने, वसीयत करने आदि-आदि के समस्त अधिकार प्राप्त हो गये हैं।

नसीरुद्दीन

M. A. M. U. P.

6-07
2015
2015



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

B 841348

27 JUL 2015
Sub Treasury Officer
Mussoorie, Dehradun

- 3- यह कि यदि क्रेता के स्वामित्व को पूर्ण करने हेतु मविष्य में किसी दस्तावेज को निष्पादित करने की आवश्यकता होती है, तो विक्रेतागण उस दस्तावेज को निष्पादित करने के लिये वचनबद्ध है।
- 4- यह कि विक्रेतागणों का नाम नगर पालिका परिषद, मसूरी के भू-भवन कर अभिलेखों में नामांकित/दर्ज है विक्रेतागण वचन देते हैं कि उनके द्वारा विक्रय की गई सम्पत्ति को क्रेता के नाम नगरपालिका परिषद, मसूरी के भू-भवन कर अभिलेखों में नामान्तरण दर्ज करवाने में पूर्ण सहयोग अनापत्ति-पत्र देकर प्रदान करेंगे।
- 5- यह कि विक्रय की गई सम्पत्ति के लिये किसी प्रकार के कोई कर देय अवशेष नहीं है फिर भी विक्रेतागण वचन देते हैं कि आज तक के देय करों का भुगतान विक्रेतागण करेंगे और आज के बाद के देय करों का भुगतान क्रेता बतौर स्वामिनी करेगी।
- 6- यह कि विक्रेतागण, क्रेता को विश्वास दिलाते हैं कि उक्त विक्रीत सम्पत्ति के संबंध में विक्रेतागणों का स्वामित्व पाक-साफ है। फिर भी यदि किसी प्रकार से विक्रेतागणों के स्वामित्व अधिकार में दोष-खोट या कमी होने से पूर्ण विक्रीत सम्पत्ति या उसका कोई भी भाग क्रेता के कब्जे से निकल जाता है या उसको हानि पहुंचती है, तो विक्रेतागण, क्रेता की क्षतिपूर्ति करेंगे। क्रेता को पूर्ण अधिकार होगा कि यदि विक्रेतागण क्षतिपूर्ति नहीं करते हैं, तो वह न्यायालय द्वारा विक्रय मूल्य मय हर्जे-खर्चे विक्रेतागणों से प्राप्त कर लें, विक्रेतागणों को आपत्ति करने का कोई भी अधिकार नहीं होगा।

नसीम खान

Dr. Namik



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

B 013766

16 JUL 2018

Sub Treasury Officer
Mussoorie, Dehradun

- 7- यह कि उक्त विक्रीत सम्पत्ति पर उ. प्र. सीलिंग एक्ट के प्रावधान लागू नहीं है तथा यह नगर पालिका परिषद्, मसूरी की सीमा के अन्तर्गत आती है।
- 8- यह कि उक्त विक्रीत सम्पत्ति की छत पर विक्रेतागणों का ही अधिकार व स्वामित्व रहेगा। उक्त विक्रीत सम्पत्ति की दीवारें डेढ़ फुट की हैं तथा यह अगल-बगल की सम्पत्तियों के साथ कॉमन दीवार के रूप में बनी हुयी हैं तथा इसी रूप में प्रयोग में लायी जा रही हैं। भविष्य में भी इन कॉमन दीवारों का प्रयोग इसी प्रकार से निर्विवाद रूप से बना रहेगा। उक्त विक्रीत सम्पत्ति के अन्दर क्रेता को अपनी सुविधा व आवश्यकतानुसार मरम्मत आदि कराने का पूरा अधिकार रहेगा।
- 9- यह कि क्रेता उक्त विक्रीत सम्पत्ति का उपयोग केवल अपनी, अपने परिवारजनों अथवा अपने कर्मचारियों के आवासीय उपयोग हेतु करेगा। क्रेता को उक्त विक्रीत सम्पत्ति को आगे किसी अन्य व्यक्ति को किरायेदारी पर देने का पूरा अधिकार रहेगा। आवासीय उपयोग के अतिरिक्त क्रेता उक्त विक्रीत सम्पत्ति का किसी अन्य प्रकार से उपयोग अथवा किसी प्रकार की व्यवसायिक गतिविधि नहीं करेगी।
- 10- यह कि विक्रय पत्र में वर्णित शर्तों व उपबन्धों से उभयपक्षकार तथा उनके वारिस-वारिसान, हित-प्रतिनिधि आदि सभी बाधित माने जायेंगे तथा इनका समान रूप में पालन भविष्य में भी करेंगे।

नसीत वाना

3
12



Issued From
16 JUL 2015
Sub Treasury Office
Mussoorie, Dehradun

UTTARAKHAND

B 013767

11- यह कि विक्रय की गई उपरोक्त विक्रीत सम्पत्ति जिसका कुल रकबा/क्षेत्रफल 15.00 वर्ग मीटर अथवा 161.5 वर्ग फुट है, जिसे सवाय आऊट हाऊस, निकट गाडी खाना, किताबघर, मसूरी के नाम से जाना जाता है तथा उसका एक भाग है तथा किताबघर चार्लिविल रोड, मसूरी जिला-देहरादून पर गाडी खाना के निकट स्थित है। विक्रीत सम्पत्ति पूर्णतः आवासीय सम्पत्ति है, जिस पर गैर वाणिज्यिक निर्माण की क्षेत्रीय दर ₹14,000/- प्रति वर्ग मीटर माननीय कलेक्टर, देहरादून द्वारा निर्धारित किया गया है, जिसके अनुसार विक्रय की गयी सम्पत्ति का निर्धारित सर्कल/बाजारी मूल्य निम्न प्रकार है:-

(1)	निर्माण की कीमत:-		
	15.00 वर्ग मीटर X ₹14,000/-	=	₹2,10,000/-
(2)	भूमि की कीमत:-		
	15.00 वर्ग मीटर X ₹10,000/-	=	₹1,50,000/-
(3)	सम्पत्ति का 5 मीटर से कम चौड़े मुख्य मार्ग पर स्थित होने की दशा में 15% की वृद्धि	=	₹54,000/-
	सम्पूर्ण योग	=	<u>₹4,14,000/-</u>

सम्पूर्ण सर्कल/बाजारी मूल्य ₹4,14,000/- (चार लाख चौदह हजार रुपये मात्र) होता है, जिस पर स्टाम्प शुल्क 3.75% की दर से अधिकतम ₹15,525/- होता है, जबकि ₹16,000/- का भुगतान किया गया है।

14- यह कि विक्रीत सम्पत्ति पूर्णतः आवासीय कमरा है। क्रेता तथा विक्रेतागणों की नागरिकता भारतीय है।

नसीम अली

सम्पत्ति सूची


वह विक्रित सम्पत्ति जो कि एक आवासीय सम्पत्ति (कमरा) है, जिसे सवाय आऊट हाऊस, निकट गाड़ीखाना, किताबघर, मसूरी के नाम से जाना जाता है, जो कि उसका एक भाग है तथा किताबघर चार्लिविल रोड, मसूरी जिला-देहरादून में 5 मीटर से कम चौड़े रास्ते पर स्थित है, जिसका कुल रकबा/क्षेत्रफल 15.00 वर्ग मीटर अथवा 161.5 वर्ग फुट है, जिसे इस विक्रय पत्र के साथ संलग्न मानचित्र में लाल स्याही से रेखांकित किया गया है तथा जिसके :-

पूरब में	:	विक्रेतागणों की सम्पत्ति,
पश्चिम में	:	विक्रेतागणों की सम्पत्ति,
उत्तर में	:	कॉमन रास्ता
दक्षिण में	:	पुश्ता स्थित है।


भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम-1908 की धारा 32A के प्रावधानों के तहत विक्रेताओं और क्रेता की उंगलियों के निशान:-

विक्रेता सं० 1 का नाम :- श्रीमती नसीम बानों पत्नी मौहम्मद यासीन, निवासिनी-सवाय आऊट हाऊस, निकट गाड़ी खाना, किताबघर, मसूरी, जिला देहरादून।

विक्रेता के बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



दायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-




नसीम बानो

विक्रेता सं० 1


नसीम बानो M.A.M.M.V

विक्रेता सं० २ का नाम :- मोहम्मद आमिर पुत्र मौहम्मद यासीन, निवासी- सवाय आऊट हाऊस, निकट गाड़ी खाना, किताबघर, मसूरी, जिला देहरादून।

विक्रेता के बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



दायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-




विक्रेता सं० २


M. Kamal

क्रेता का नाम :- श्रीमती नय्यर पत्नी श्री कलीम अहमद, निवासी- कार्डेस्ट चर्च बिल्डिंग, लाईब्रेरी, मसूरी, जिला-देहरादून।

क्रेता के बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



दायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-



क्रेता

गसीमवानी *M. Kamal*

M. Kamal

अतः यह विक्रय-पत्र आज दोनों पक्षों द्वितीय पक्ष / क्रेता एवं प्रथम पक्ष / विक्रेता ने स्वेच्छा से, बिना किसी जोर-दबाव के स्वस्थ मन से उपरोक्त वर्णित स्थिति, माह एवं वर्ष को निम्नलिखित गवाहानों के समक्ष अंकित, हस्ताक्षरित एवं निष्पादित किया है ताकि सनद रहे व वक्त-जरूरत पर काम आवे।

विक्रेता नसीम बानो

क्रेता

PAN Card No.: BEMPB1199G (नसीम बानो)

AadhaarCard No.: 528655380500

PAN Card No.: AFEPA5653E (मौहम्मद आमिर)

गवाहान :-

1)- हस्ताक्षर

नाम-

पिता/पति का नाम-

पता-

कार्ड नं. 6587 1207 3755

2)- हस्ताक्षर

नाम-

पिता/पति का नाम-

पता-

कार्ड नं. 01/01/423/0570006

उपरोक्त दोनों पक्षकारों के निर्देशानुसार रचा गया व टंकित किया गया।

(रमेश कुमार जायसवाल, एडवाकेट, मसूरी)

Handwritten numbers and dates in red ink:
920, 165, 260, 162/2015, 10/2015

Handwritten text in blue ink:
श्री निबन्ध
प्रसूरी क्षेत्र




कार्यालय नगर पालिका परिषद, मसूरी ।

क्र : 431/20-21

दिनांक : 10-07-2020

प्रमाण पत्र

अवगत कराना है कि नगर पालिका परिषद, मसूरी के अभिलेख "भवन एवं भूमि मूल्यांकन सूची" वर्ष 2014-2019 की माँग सख्या 2435/IV पर दर्ज सम्पत्ति, सवाय आउट हाउस का भाग 127.87 वर्ग मी0, श्रीमती शबाना पत्नी श्रीमती नययर एवं शबाना कुरुशी का नाम वार्षिक मूल्यांकन रू0 15,000-00 सहित दर्ज है। उक्त सम्पत्ति पालिका अभिलेखों में वर्ष 1980 से पूर्व दर्ज है।


कर केर अधिकारक
नगर पालिका परिषद, मसूरी।